कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 634 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/ दिनांक 30/06/2020

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट ।

विषयः– खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 से बचाणगांव के निर्माण कार्य हेतु 1.346 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– 08 बी0/यू0सी0पी0/06/86/2018/एफ0सी0/671 दिनांक 25.06.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त विषयक खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन सर्शत सैद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या निम्नानुसार है–

बिन्दु संख्या 1:– के अनुपालन के क्रम में वनविभाग के पत्र में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.346 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव आवश्यक धनराशी (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–1) तथा उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के कार्यालय आदेश संख्या 2692/ग्यारह–19 (2015–16) दिनांक 15.03.2016 के क्रम में राजस्व निरीक्षण की आख्या अमलदरामद के अनुसाद दिनांक 24.02.2020 को उक्त भूमि का अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 2:– के अनुपालना के क्रम में सड़क निर्माण के पश्चात प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पेड़ स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी जमा कर दी जायेगी।

बिन्दु संख्या 3:– के अनुपालन के क्रम में आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या 4:– के अनुपालन के क्रम में यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

बिन्दु संख्या 5:– के अनुपालन के क्रम में निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशी जमा करा दी गई है।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.346 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्त 05 प्रतियों में।

O/C

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

O/C

पत्रांक 634 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/तदिनांक 30/06/2020

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला उत्तरकाशी

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्र संख्या 662/पी.एम.जी.एस.वाई./सि0ख0 दिनांक 01.09.2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड नौगांव में एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 4.364 है0 भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/विविध जांच/2015-16 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक चपटाड़ी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानुसार बचाणगांव के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र चपटाड़ी अन्तर्गत खसरा सं0 1133 रकवा 0.940 है0, 1229 रकवा 0.439 है0, 1313 रकवा 0.826 है0, 1365म0 रकवा 0.202 है0, 2320 रकवा 0.862 है0, 2318 रकवा 0.559 है0 एवं 2349 रकवा 0.518 है0 कुल रकवा 4.346 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त ग्राम में प्रस्तावित भूमि के नक्शा, खसरा, उद्धरण खतौनी मय संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार मौजा ग्राम बचाणगांव में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में वर्ग-9(3)ड. खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा संख्या 1133 रकवा 0.940 है0, 1229 रकवा 0.439 है0, 1313 रकवा 0.826 है0, 1365म0 रकवा 0.202 है0, 2320 रकवा 0.862 है0, 2318 रकवा 0.559 है0 एवं 2349 रकवा 0.518 है0 कुल रकवा 4.346 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने को स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2692 /ग्यारह-19 (2015-16) दिनांक 15 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।
2- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/ तहसीलदार तहसीलदार बड़कोट ।
3- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.सिचाई खण्ड पुरोला ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

R.K.
आ0 का0 कलर्क
तहसीलदार
बड़कोट
30/3/16

तहसीलदार
बड़कोट
कृ0 आवश्यक कार्यवाही
करें
जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)
19-3-2016

खेवट - खतौनी NON Z.A. ग्राम - बचाणगांव पट्टी - ठकराल तहसील - बड़कोट जिला - उत्तरकाशी

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

फसली वर्ष - 1425 से 1430 तक

1	2	3	4	5	6	7	8
20-	उत्तराखण्ड सरकार		5	0.003			जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के पत्र संख्या 2442/ग्यारह-17 (2015-16)
	श्री [illegible]		7	0.003			दिनांक 15 मार्च 2016 के क्रम में ग्राम बचाणगांव की [illegible] 93/50
			9	0.006			रकबा [illegible] के खसरा नम्बर 1183/0.940 [illegible]/0.439, 1313/[illegible], 1365अ/[illegible]
			[illegible]	[illegible]			2325/0.464, 2318/0.559 एवं 2345/0.518 कुल रकबा 4.346 है० कृषि
			1262	1.154			राजस्व अभिलेखों में [illegible] [illegible] ([illegible] 5
			2318	0.559			बड़कोट को हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति
			2500	0.690			प्रदान की गई है तदनुसार अमलदरामद किया
			2506	0.319			VL/Sd.
			2733	0.024			उप जि० बड़कोट Sd. 21031[illegible] [illegible]
	खाते का योग-		20	4.759			

सत्यप्रति लिपि
24/7/2020
रा० [illegible]
चापड़ी

प्रतिहस्ताक्षरित
तहसीलदार
बड़कोट

(प्रपत्र–51)

कार्य का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नगांण के किमी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–4.30 किमी0)

<u>एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

(प्रपत्र–51)

कार्य का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नगाण गांव मोटर मार्ग के किमी0 9.00 से बचाण गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई–4.30 किमी0)

Strip plantation कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण उक्त प्रकरण में जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई0
पुरोला

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : [illegible] Tel.No. 01373-[illegible]

पत्रांक 936 / [illegible] दिनांक 21-08-2019

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
[illegible]
देहरादून।

विषय – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] 04 नगाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 [illegible] 00 से बनाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 है0 वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की [illegible] भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त मोटर मार्ग के लिए निम्न धनराशि जमा कराने की सूची [illegible]।

1. एन0पी0वी0 की धनराशि [illegible]
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु धनराशि– 8,25,181.00 रू0

कुल धनराशि– 17,09,503.00 रू0

[illegible] Paid Vide Ch. No. [illegible]
Dated 17-9-19 [illegible]
[illegible] पर अनुमोदित

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0,
पुरोला, उत्तरकाशी।

Passed for Rs. 1709503/-
(Rupees [illegible])
By Cash Rs. [illegible]
By Cheque Rs. 1709503/-

[illegible]
देहरादून

Scanned by CamScanner